सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011
दिनांक: 13/10/ 2017

संख्या आरटीआई/12513/2017-पीएमआर

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्रीमती राजेंद्री से प्राप्त दिनांक 5.10.2017 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 10.10.2017 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गया है।

(प्रवीन कुमार)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
e-mail: rti-pmo.applications@gov.in
☎: 2338 2590

RTI

936

सचिव, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय
परिवहन भवन, नई दिल्ली

I com & send to
1. SE(P-2) Sh. Dhusia
2. NHAI

प्रति- (स्पीड पोस्ट द्वारा)

श्रीमती राजेंद्री
पत्नी श्री बादाम सिंह
ग्राम कलियानपुर थाना टप्पल
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
प्राप्त किया
19 OCT 2017
RECEIVED
Ministry of Road Transport & Highways

O/o C. R. Section (RTH)
Dairy No. 251295/2017
Date 18/10/2017

12513-11/10/17

12513/17

10 OCT 2017
DAK SECTION

सेवा में,

श्रीमान् लोकसूचना अधिकारी
माननीय प्रधामंत्री जी
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

विषयः— **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

1. महोदय पीड़िता राजेन्द्री बृद्ध उम्र लगभग 70 वर्ष पत्नी बादाम सिंह निवासी गांव कलियानपुर थाना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ की रहने वाली है। अवगत करायें।
2. महोदय पीडिता ने दिनांक 6.8.2007 को एक प्लाट रकवा 83—61 अर्थात् 100 वर्गगज खेत संख्या 105/1 स्थित गॉव हरिदासपुर तहसील कोल जिला अलीगढ में उक्त प्लाट भूमि मालिक बनी सिंह पुत्र सुखराम निवासी गांव मानगढ़ी तहसील इगलास जिला अलीगढ द्वारा प्रार्थिया के नाम बैनामा किया गया था अवगत करायें।
3. महोदय पीड़िता ने अपने 100 वर्ग गज के प्लाट की चार दीवार 35 हजार ईट लगाकर राजमिस्त्रियों को मजदूरी देकर करायी थी अवगत करायें ।
4. महोदय पीड़िता के उक्त प्लाट का राष्ट्रीय राज मार्ग 91 के वाईपास के निर्माण हेतु भूमि का गाजियाबादर अलीगढ हाइवे के लिये अधिग्रहण कर लिया गया था अवगत करायें।
5. महोदय पीडिता ने अपनी स्वयं की बीमारी व अपने पति के लकवा रोग से पीड़ित भयंकर बीमारी का पैसे के अभाव में इलाज न होने के कारण उक्त प्लाट की सरकारी के द्वारा दी जा रही मुआवजे की धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 29.5.2017 को अलीगढ जिले के जिलाधिकारी महोदय के जनता दर्शन संख्या 20014317001706 प्रार्थना पत्र दिया गया था अवगत करायें।
6. महोदय पीडिता का अलीगढ जिले के जिलाधिकारी के जनता दर्शन में दिनांक 29.5.2017 को दिया गया प्रार्थना पत्र विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में भेज दिया गया था अवगत करायें।
7. महोदय पीड़िता को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (स0स0) अलीगढ के कार्यालय से पत्रांक 1482/आठ—वि0भू0अ0अ0/स0स0/अलीगढ़ दिनांक 66/06/2017 का पत्र प्राप्त हुआ था अवगत करायें।
8. महोदय पीड़िता को उसी की स्वयं के प्लाट की हाइवे द्वारा अधिग्रहण की गयी भूमि के मुआवजे की धनराशि किस दिनांक तक प्राप्त हो जायेगी अवगत करायें।
9. महोदय वृद्ध बीमार पीड़िता व उसके लकवा जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त पति पैसे के अभाव में दर—दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और उनका इलाज पैसे के अभाव में नहीं पा रहा है। अवगत करायें।
10. महोदय पीड़िता को अवगत करायें कि सरकार द्वारा उसके अधिग्रहण किये गये प्लाट की मुआवजे की धनराशि किस दिनांक व किस महीने व किस सन् में उपलब्ध करा दी जायेगी जिससे कि वह अपने व स्वयं के पति की मृत्यु होने का इन्तजार पैसे के अभाव में करती रहेगी। अवगत करायें।

State

69733
10/10/17
9/11/17

पीड़िता
अगूठा निशानी राजेन्द्री
(श्रीमती राजेन्द्री)
पत्नी श्री बादाम सिंह
नि0 गॉव कलियानपुर,
थाना टप्पल, तह0 खैर,
जिला अलीगढ़ (उ0प्र0)
मो0—7466861088

दिनांक 5-10-2017

संलग्न :- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं० सं०) अलीगढ़ का प्राप्त पत्र
2- पोस्टल आर्डर नम्बर 42F/011358

4711873

IPO no. 42F 011358

जिलाधिकारी जनता दर्शन
संख्या 20014317001706 दिनाँक 29.05.2017

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) अलीगढ।

पत्रॉक 1482 /आठ–वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/अलीगढ/दिनॉक 06/.06.2017

विषय :– जिलाधिकारी जनता दर्शन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संम्बध में।

जिलाधिकारी

अलीगढ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्रीमती राजेन्द्री देवी पत्नी श्री बादाम सिंह निवासी ग्राम कलियानपुर थाना टप्पल अलीगढ मो 7466871088 द्वारा जिलाधिकारी जनता दर्शन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनॉक 29.05.2017 शिकायत संख्या 20014317001706 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत ग्राम ग्राम हरदासपुर पर0 व तह0 कोल अलीगढ के गाटा सं0 105/1 भूस्वामी श्री वनी सिंह सुखराम निवासी मानगढी तहसील इगलास जिला अलीगढ द्वारा 83.61 वर्ग मी. अर्थात् 100 वर्ग गज भूमि का प्लाट क्रय किया था। उक्त प्लाट की 35 हजार ईट लगवाकर चाहर दीवारी करायी थी उक्त प्लाट की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –91 के वाई पास में प्रभावित होना दर्शाते हुए उक्त प्लाट की भूमि का मुआवजा खेत मालिक को न देकर प्रार्थिया को दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम हरदासपुर पर0 व तह0 कोल में अन्य गाटा संख्याओं के साथ गाटा संख्या 105 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 –91 के वाईपास के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उक्त गाटा सं0राजस्व अभिलेख खतौनी में भूमि श्रेणी 1–क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो। दर्ज कागजात है। उक्त गाटा संख्या के भूस्वामियों द्वारा अधिकांश भूमि को आवासीय प्लाटों के रुप में विक्रय की जा चुकी है। जिसमें प्लाट धारकों द्वारा अर्जित भूमि का प्रतिकर प्राप्त किये जाने हेतु दावा पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उपजिलाधिकारी कोल द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनॉक 08.05.2013 के अनुसार प्रश्नगत गाटा संख्या में 49 प्लाट धारकों के बैनामा की भूमि अर्जन से प्रभावित होना दर्शायी गयी है। किन्तु गाटा संख्या 105 के सहखातेदार श्रीमती गुड्डीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी अशरफपुर जलाल द्वारा संपादित किये गये बैनामाओं में से अर्जन से प्रभावित 12 बैनामा तथा वनी सिंह पुत्र सुखराम जाति धोबी निवासी मानगढी तह0 इगलास द्वारा सम्पादित किये गये बैनामाओं में से अर्जन से प्रभावित 06 बैनामा इस प्रकार कुल 18 बैनामा को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से भिन्न अन्य सवर्ण जाति के व्यक्तियों को बगैर सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के विक्रय कर देने के कारण तहसीलदार कोल द्वारा अपनी आख्या दिनॉक 03.05.2015 के अनुसार ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–157 का उल्लंघन होने के कारण ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166/167 के अर्न्तगत कार्यवाही किये जाने हेतु अपरजिलाधिकारी (नगर) महोदय अलीगढ के न्यायालय में संदर्भित किया गया है। जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रतिकर वितरण सम्बन्धी कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

तद्नुसार शिकायत कर्ता की शिकायत निक्षेपित करना चाहे।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(सं0सं0) अलीगढ़।

पत्रांक 1482/आठ–वि0भू0अ0 अ0 (सं0सं0) अलीगढ़/दिनांक 06/.06.2017

प्रतिलिपि:– श्रीमती श्रीमती राजेन्द्री देवी पत्नी श्री बादाम सिंह निवासी ग्राम कलियानपुर थाना टप्पल अलीगढ को जिलाधिकारी जनता दर्शन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि0 29.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(सं0सं0) अलीगढ़।